



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102026-277317
CG-DL-E-21102026-277317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5508]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 5508]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5725(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में रेलवे क्रॉसिंग संख्या LC-99 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण तथा उसके एप्रोच मार्गों का निर्माण, जिसमें कम ऊँचाई वाला सबवे (LHS) भी शामिल है, किमी 20+670 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 548B के 20+050 कि.मी. से 21+220 कि.मी. तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सेलू के उप-जिल्हाधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी, सेलू जिला परभणी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में रेलवे क्रॉसिंग संख्या LC-99 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण तथा उसके एप्रोच मार्गों का निर्माण, जिसमें कम ऊँचाई वाला सबवे (LHS) भी शामिल है, कि.मी. 20+670 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 548B पर EPC मोड के अंतर्गत। के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: परभणी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सेलू					
गांव का नाम: सेलू					
1	199	निजी	कृषि	0.060758 (हेक्टेयर)	0.060758
2	200	निजी	कृषि	0.226318 (हेक्टेयर)	0.226318
3	205	निजी	कृषि	0.050379 (हेक्टेयर)	0.050379
4	208	निजी	कृषि	0.1993 (हेक्टेयर)	0.1993
5	209	निजी	कृषि	0.222623 (हेक्टेयर)	0.222623
6	212	निजी	कृषि	0.02342 (हेक्टेयर)	0.02342
Total					0.782798

[फा. सं. RW/NH-12014/138/2024-MAH/ZONE-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5725(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway no. 548B in the stretch of land from km 20+050 to km 21+220 of Road Over Bridge (ROB) with approaches in lieu of railway crossing no. LC 99 including a low height subway (LHS) at km 20+670 on NH-548B at Selu taluka in the district of Parbhani in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Dy. Collector and Competent Authority of Land Acquisition**, Selu District Parbhani in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for Construction of Road Over Bridge (ROB) with approaches in lieu of railway crossing no. LC 99 including a low height subway (LHS) at km 20+670 on NH-5488 in the state of Maharashtra on EPC mode.

State: MAHARASHTRA			District: PARBHANI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Selu					
Village: selu					
1	199	Private	Agriculture	0.060758 (Hectare)	0.060758
2	200	Private	Agriculture	0.226318 (Hectare)	0.226318
3	205	Private	Agriculture	0.050379 (Hectare)	0.050379
4	208	Private	Agriculture	0.1993 (Hectare)	0.1993
5	209	Private	Agriculture	0.222623 (Hectare)	0.222623
6	212	Private	Agriculture	0.02342 (Hectare)	0.02342
Total					0.782798

[F. No. RW/NH-12014/138/2024-MAH/ZONE-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director